

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

रिपोर्ट पटवारी खेमाणा भू.अ. निरीक्षक मोखुंडा तहसील रायपुर

मोखुंडा जी, ग्राम खरदाया फर्म खेमाणा में खाता सं. 32 में खालेदार उदा पुत्र रामचंद्र, कजोड पुत्र कालू, कैलाश पुत्र लक्ष्मण, जेसू पुत्र उदा, डाली पाले मांगू, देवीलाल पुत्र रामा, धाडु पाले लक्ष्मण, माराण पुत्र मांगू, पेमा पुत्र नेनु, अंकर पुत्र लक्ष्मण, मागी पाले नेनु, माधु पुत्र उदा, शैलन पुत्र लक्ष्मण, शंकर पुत्र लक्ष्मण, बगामी पाले उदा, हीरा पुत्र नेनु (समस्त जारीजए) का निवास स्थान सा. मोखुंडा दर्ज रेकार्ड है निवेदन है कि ग्राम खरदाया की जमाबंदी संवत् 2071-74 में खाता सं. 31 में उक्त समस्त खालेदारों का निवास स्थान सा. खेमाणा दर्ज रेकार्ड है अतः खरदाया फर्म खेमाणा की वर्तमान जमाबंदी द्वारा सं. 32 में अंकित उपरोक्त खालेदारों का निवास स्थान सा. मोखुंडा के बजाय 2075-78

सा. खेमाणा दर्ज किया जाना उचित है।
 [Signature] प. खेमाणा
 रिपोर्ट तहसीलदार रायपुर

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का खेमाणा व जांच भू.अ.नि. वृत्त मौरा के आधार पर शुद्धि किया जाना उचित है।

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

3/12/21
 तहसीलदार रायपुर
 तहसीलदार (भू.अ.) रायपुर
 जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
 क्रमांक:-प्र.गां.के सं./केम्प/2021/खेमाणा/148/21 दिनांक:-03/12/2021
 (2021/339)
 --:आदेश :-

मुताबिक तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर राजस्व ग्राम खरदाया जमाबंदी संवत् 2075-78 खाता संख्या 32 स्वयं/शामलाती खाते में खालेदार/सहखालेदार उदा/रायचन्द्र कजोड/कालू, कैलाश/लक्ष्मण जेसू/उदा डाली/देवीलाल रामा, धाडु/लक्ष्मण माराण/मांगू, पेमा/नेनु, अंकर/लक्ष्मण, मागी/नेनु, माधु/उदा, शैलन/लक्ष्मण, शंकर/लक्ष्मण, बगामी/उदा, हीरा/नेनु के नाम अंकित है जिसके बजाय उदा/रायचन्द्र कजोड/कालू, कैलाश/लक्ष्मण जेसू/उदा डाली/देवीलाल रामा, धाडु/लक्ष्मण माराण/मांगू, पेमा/नेनु, अंकर/लक्ष्मण, मागी/नेनु, माधु/उदा, शैलन/लक्ष्मण शुद्धि किया जाता है, तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाये वास्ते तहसीलदार रायपुर को पालनार्थ प्रेषित है।



3/12/2021
 उपखण्ड अधिकारी
 रायपुर भीलवाड़ा